Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **सवाईमाधोपुर में निरीक्षक (सी.जी.एस.टी.) 10 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *16 जून/* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की सवाईमाधोपुर इकाई द्वारा आज बुधवार को कार्यवाही करते हुये वरूण जैन निरीक्षक (सी.जी.एस.टी.) को परिवादी से 10 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की सवाईमाधोपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी दुकान का निरीक्षण नहीं करने की एवज में तिमाही एवं छमाही बंधी के रूप में वरूण जैन निरीक्षक (सी.जी.एस.टी.) केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर रेंज–28, महावीर नगर, सवाईमाधोपुर द्वारा 10 हजार रूपये रिश्वत मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की सवाईमाधोपुर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा सवाईमाधोपुर में ट्रेप कार्यवाही करते हुये वरूण जैन पुत्र श्री विजय जैन निवासी मकान नं0 119/65, अग्रवाल फार्म, पुलिस थाना शिप्रापथ, मानसरोवर, जयपुर हाल निरीक्षक (सी.जी. एस.टी.) केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर रेंज–28, महावीर नगर, सवाईमाधोपुर को परिवादी से 10 हजार रुपये रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया। प्रकरण में **गोविन्द पाराशर अधीक्षक,** (सी.जी.एस.टी.) केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर रेंज–28, सवाईमाधोपुर की भी भूमिका संदिग्ध पाई गई है, जिसकी ए.सी.बी. द्वारा विस्तृत जाँच की जावेगी।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।